



Neutral Citation No. –

2026:AHC:17232

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका - बी संख्या - 86 वर्ष 2026

मोहम्मद तारिक

याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

उत्तरदाता

याचिकाकर्ता के वकील

अनिल कुमार तिवारी

प्रतिवादी के वकील

सीएससी

न्यायालय संख्या - 55

माननीय चंद कुमार राय, न्यायमूर्ति।

1. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री पंकज कुमार की दलीलें सुनीं।

2. यह याचिका निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई है:

"i. उत्तर प्रदेश राजस्व बोर्ड, प्रयागराज को निर्देश देने के लिए परमादेश के रूप में एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए कि वह पुनरीक्षण संख्या 5308/2024 (सैफ सरफराज अहमद बनाम मोहम्मद तारिक और अन्य) पर कानून के अनुसार शीघ्रता से निर्णय ले, बिना अनावश्यक स्थगन दिए।"

ii. उत्तर प्रदेश प्रयागराज के माननीय राजस्व बोर्ड को निर्देश देने के लिए परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए कि वह याचिकाकर्ता द्वारा पुनरीक्षण संख्या 5308/2024 (सैफ सरफराज अहमद बनाम मोहम्मद तारिक और अन्य) में दायर स्थगन हटाने के आवेदन पर कानून के अनुसार शीघ्रता से निर्णय ले, अधिमानतः उस समय सीमा के भीतर जैसा कि यह माननीय न्यायालय उचित समझे।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने बताया कि उत्तर प्रदेश राजकोष एवं भूमि अधिकार अधिनियम की धारा 229-बी के तहत दायर की गई उपरोक्त पुनरीक्षण याचिका, जिसमें

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



याचिकाकर्ता को प्रतिवादी बनाया गया है, उत्तर प्रदेश राजस्व बोर्ड, प्रयागराज स्थित प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष लंबित है। उन्होंने आगे बताया कि उक्त पुनरीक्षण याचिका पर अंतरिम आदेश लागू है। उन्होंने यह भी बताया कि मामले की कार्यवाही में तेजी न आने के प्रमाण स्वरूप याचिका के साथ आदेश पत्र की प्रति अनुलग्नक संख्या 5 के रूप में संलग्न की गई है।

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना और तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी संख्या 2/प्रयागराज स्थित उत्तर प्रदेश राजस्व बोर्ड उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वे पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद कानून के अनुसार उपर्युक्त पुनरीक्षण पर शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति उनके समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर निर्णय लें।

5. तदनुसार, रिट याचिका का अंतिम निपटारा किया जाता है।

(चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति)

22 जनवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"